4 [2021एससीआर454]

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

बनाम

मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड

सिविल अपील संख्या(2010/6145

30अप्रैल2021 ,

]एल .नागेश्वर राव और विनीत शरण ,न्यायमूर्ति[

विद्युत :झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग) बिजली आपूर्ति संहिता (विनियम– 2005 , विनियमन – 9.2 ,9.1 दिनांक 14.04.2004 को प्रतिवादी लघु उद्योग ने बोर्ड के साथ 325 केवीए लोड के हाईटेंशन कनेक्शन के लिए एक अनुबंध किया – इसके बाद ,दिनांक 14.03.2006 को प्रतिवादी ने 325केवीए से 1325 केवीए तक लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया ,जिसे स्वीकृत कर दिया गया – दिनांक 26.12.2006 को प्रतिवादी ने पुनः 1325 केवीए से 3500 केवीए तक लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया ,जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया – प्रतिवादी के पुनः अनुरोध पर दिनांक 07.07.2007को लोड पुनः बढ़ाकर 4000 के.वी.ए .कर दिया गया – लगातार लोड शेडिंग के कारण , जो मशीनरी को प्रभावित कर रही थी ,प्रतिवादी ने लोड को 4000 केवीए से घटाकर 1325 केवीए करने का निर्णय लिया – हालांकि ,इस आशय का आवेदन यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि यह अनुबंध के निर्धारण का मामला है ,और अनुबंध के खंड9 बी का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुबंध को दिनांक 07.07.2007 से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी होने से पहले निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और कि प्रतिवादी को न्यूनतम गारंटी शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा ,भले ही प्रतिवादी अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय करता है – प्रतिवादी ने सफलतापूर्वक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की – बोर्ड ने तत्काल अपील दाखिल की – अभिनिर्धारित : विनियमन 2005 ,का अध्याय 9 अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में वृद्धि और कमी से संबंधित है – विनियमन 9.1 अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में वृद्धि से संबंधित है ,जबकि विनियमन 9.2अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में कमी से संबंधित है – विनियमन 2005 के विनियमन 9.2.6 में उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में कमी के लिए एक पूरक अनुबंध के निष्पादन का प्रावधान है – यदि विनियम लिखित संचार के माध्यम से भी अनुबंध लोड में बदलाव करने का प्रावधान करते

हैं ,तो पूरी निष्पक्षता से ,हालांकि उसी विद्युत कनेक्शन के लोड में वृद्धि के चरण में नए अनुबंध निष्पादित किए जा सकते हैं ,इसे विद्युत कनेक्शन प्रदान करने वाले प्रारंभिक अनुबंध के विस्तार/संशोधन या परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं माना जा सकता है ,जो वर्तमान मामले में दिनांक 14.04.2004का अनुबंध होगा – इस प्रकार ,भले ही उपभोक्ता को प्रत्येक लोड वृद्धि के लिए नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है ,लेकिन वृद्धि उसी विद्युत कनेक्शन के लिए है जो अभी भी जारी है ,यह केवल प्रारंभिक अनुबंध का संशोधन होगा – यह विनियमन 2005 के प्रावधानों के अनुरूप भी होगा ,जिनकी उपभोक्ता के पक्ष में उदारतापूर्वक निर्वचन की जानी चाहिए – बोर्ड ने लोड कम करने के प्रतिवादी के आवेदन को अनुबंध के खंड9 बी के तहत अनुबंध के निर्धारण के लिए मानने में गलती की थी ,जिस आवेदन पर वास्तव में विनियमन 2005 का विनियमन 9.2 के तहत विचार किया जाना चाहिए था – वर्तमान मामले में विचारणीय अनुबंध दिनांक 14.04.2004 का प्रारंभिक अनुबंध है न कि दिनांक 07.07.2007 का अनुवर्ती अनुबंध है ।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित .1 : दिनांक 14.04.2004 के प्रारंभिक अनुबंध के बाद ,जो दिनांक 16.04.2004 से प्रभावी हुआ ,जिसके तहत प्रतिवादी के पक्ष में 325 केवीए की अनुबंध मांग की अनुमति दी गई थी ,झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 ,की धारा 50 सपठित धारा (x)(2)181द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में ,झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग) विद्युत आपूर्ति कोड (विनियम 2005 ,विरचित किया गया ,जो दिनांक 28.07.2005 से प्रभावी हुआ।] पैरा-459][5 एफएच[

2.1बोर्ड के विद्युत अधीक्षण अभियंता के दिनांक 08.11.2007 के पत्र द्वारा प्रतिवादी के लोड में कमी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया ,जो दर्शाता है कि लोड में कमी के लिए प्रतिवादी के आवेदन को अनुबंध के खंड)9 बी (के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया था ,जिसमें अनुबंध के प्रारंभ होने की दिनांक 12.07.2007/7 मानी गई थी और केवल अनुबंध के निर्धारण के प्रावधान पर विचार करके ,जो कि 12 कैलेंडर महीनों से कम समय का नोटिस दिए बिना नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट है कि उक्त संचार/आदेश लोड में कमी के संबंध में विनियमन 2005 के प्रावधानों पर विचार नहीं करता है ,बल्कि लोड में कमी के लिए आवेदन को केवल अनुबंध के निर्धारण के लिए आवेदन मानता है।] पैरा-463] [11 ,9 बी-464 ;एसी[

2.2विनियमन 2005 ,का अध्याय 9 अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में वृद्धि और कमी से संबंधित है। विनियमन 9.1 अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में वृद्धि से संबंधित है ,जबकि विनियमन 9.2 अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में कमी से संबंधित है। जिस प्रकार उपभोक्ता को विनियमन 9.1 के अंतर्गत अपना लोड बढ़वाने की स्वतंत्रता है ,उसी प्रकार अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में कमी के लिए भी विनियमन 9.2के अंतर्गत प्रार्थना की जा सकती है तथा उस पर निर्णय लिया जा सकता है। विनियमन 9.2.1 का प्रावधान ,निस्संदेह ,यह प्रावधान करती है कि अनुबंध की प्रारंभिक अवधि ,जो वर्तमान मामले में तीन वर्ष है ,की समाप्ति से पहले लोड में कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रश्न यह होगा कि क्या इस उद्देश्य के लिए प्रारंभिक अनुबंध पर या अनुवर्ती अनुबंध पर विचार किया जाना चाहिए।] पैरा ,12 -464] [13सीएफ[

.3विनियमन 2005 के विनियमन 9.2.6 में उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड में कमी के लिए एक पूरक अनुबंध के निष्पादन का प्रावधान है। इसी प्रकार ,लोड में वृद्धि के लिए भी ,भले ही पक्षों के बीच एक नया अनुबंध निष्पादित किया गया हो ,इसे उस प्रारंभिक अनुबंध के पूरक अनुबंध के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता है जिसके द्वारा किसी विशेष लोड के लिए विद्युत कनेक्शन दिया गया था। विनियमनों के खंड)2 एल (में" अनुबंध मांग "को अनुबंध में पारस्परिक रूप से सहमत मांग या अन्य लिखित संचार के माध्यम से सहमत मांग के रूप में परिभाषित किया गया है ,जिसका अर्थ है कि अनुबंध मांग में परिवर्तन के लिए नए अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है और इसे केवल लिखित संचार द्वारा भी किया जा सकता है।] पैरा-464][14 एफएच[

.4झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड') बोर्ड ('बिजली का एकाधिकार आपूर्तिकर्ता है ,जिसने अपनी स्वयं की शर्तें और नियम निर्धारित कर रखे हैं ,जिनके संबंध में उपभोक्ता के पास कोई कहने या विकल्प नहीं है ,सिवाय इसके कि यदि वह अपने उद्योग चलाने के लिए बिजली का लोड बदलना चाहता है तो उसे बिन्दुबद्ध रेखाओं पर हस्ताक्षर करना होगा। बोर्ड राज्य का एक अंग है। यह उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। यदि विनियम लिखित संचार के माध्यम से भी अनुबंध भार में परिवर्तन करने का प्रावधान हैं ,तो सभी निष्पक्षता में ,हालांकि एक ही विद्युत कनेक्शन के लोड की वृद्धि के चरण में नए अनुबंध निष्पादित किए जा सकते हैं ,इसे विद्युत कनेक्शन देने वाले प्रारंभिक अनुबंध के विस्तार / संशोधन या परिवर्तन के अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता है ,जो वर्तमान मामले में दिनांक 14.04.2004 का अनुबंध होगा। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार ,उपभोक्ता को प्रत्येक बार लोड वृद्धि के लिए नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है ,लेकिन चूंकि यह वृद्धि उसी विद्युत कनेक्शन के लिए है जो अभी भी जारी है ,इसलिए यह केवल प्रारंभिक अनुबंध में

संशोधन होगा। यह विनियमन 2005 के प्रावधानों के अनुरूप भी होगा ,जिसकी उपभोक्ता के पक्ष में उदारतापूर्वक निर्वचन की जानी चाहिए।] पैरा-465][15 एडी[

5बोर्ड ने लोड कम करने के लिए प्रतिवादी के दिनांक 20.09.2007 के आवेदन को अनुबंध के खंड9 बी के तहत अनुबंध के निर्धारण के लिए आवेदन मानने में गलती की है ,जिस आवेदन पर वास्तव में विनियमन 2005 के विनियमन 9.2 के तहत विचार किया जाना चाहिए था। वर्तमान मामले में विचार किया जाने वाला अनुबंध दिनांक 14.04.2004 का प्रारंभिक समझौता है न कि 07.07.2007का अनुवर्ती अनुबंध है ।] पैरा-465][16 डीएफ[

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ,पटना और अन्य बनाम मेसर्स ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज और अन्य 1 (1990)एससीसी 2 [1989] :731 पूरक एससीआर ;275 उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम उड़ीसा टाइल्स लिमिटेड (1993) पूरक 3 एससीसी 2 [1993] :481 एससीआर ;860 आंध्र स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य 3 (1991) एससीसी [1991] :263 2एससीआर ;624 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम लक्ष्मी बिजनेस एवं सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य 5 (2014) एससीसी 3 [2014] :236 एससीआर – 453 प्रतिष्ठित किया गया।

<u>संदर्भित निर्णयज विधि</u>

2 [1989]पूरक एससीआर275	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा17
2 [1993]एससीआर860	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा17
2 [1991]एससीआर624	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा17
3 [2014]एससीआर453	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या.2010/6145

रिट याचिका) सी (संख्या 2007/6651 में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के रांची दिनांक 23.07.2008के निर्णय एवं आदेश से।

अनूप कुमार ,सौरभ जैन ,सुश्री नेहा जायसवाल ,शिवम कुमार ,सुश्री श्रुति सिंह अधिवक्ता वास्ते अपीलकर्ता।

नवनीति प्रसाद सिंह ,वरिष्ठ अधिवक्ता ,देवाशीष भरूका ,धनजंय पाठक ,वैभव नीति ,सुश्री सर्वश्री , जस्टिन जॉर्ज ,सुश्री सृष्टि अग्रवाल ,सुश्री तानिया बंसल ,अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

विनीत शरण,न्यायमूर्ति

1. प्रतिवादी एक लघु उद्योग है। अपने उद्योग को चलाने के लिए, इसके पास अपीलकर्ताओं झारखण्ड राज्य विद्यत बोर्ड के साथ (संक्षेप में बोर्ड)4000 केबीए की बिजली की संबंधी अनुबंध मांगस्वीकृत बोर्ड का अनुबंध था। इस तरह/ के स्वीकृत भार को 1325 केबीए तक कम करने के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकृत की स्थिति में पहले एक रिट याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई जिसे उच्च न्यायालय स्वीकार कर लिया गया है। उच्च न्यायालय के उक्त निणर्य से व्यथित होकर बोर्ड द्वारा यह अपील दायर की गई है।

2. वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी,जो एक लघु उद्योग है, ने 325 केवीए लोड के हाई टेंशन (एचटी)कनेक्शनके लिए बोर्ड के साथ दिनांक 14.04.2004 को एक समझौता किया था। इसके बाद प्रतिवादी ने लोड को 325 केवीए से बढ़ाकर 1325 केवीए करने के लिए आवेदन किया जिसे बोर्ड के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 14.03.2006 को अनुमति दी गई। प्रतिवादी ने लोड को 1325 केवीए से बढ़ाकर 3500 केवीए करने के लिए फिर से आवेदन किया जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 26.12.2006 को मंजूरी दी गई थी। प्रतिवादी के एक अनुरोध पर लोड को 500 केवीए से बढ़ाकर 4000 केवीए कर दिया गया था। लोड वृद्धि के प्रत्येक मामले में प्रतिवादी और बोर्ड के बीच इस आशय के नये समझौते किए गए थे। इस संदर्भ में 4000 केवीए लोड की आपूर्ति के लिए दिनांक 07.07.2007 को समझौता किया गया था। प्रतिवादी का आरोप है कि लोड में वृद्धि के पष्चात् उसे काफी ट्रिपिंग के साथ साथ निरंतर लोड सेडिंग का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण मंहगी मषीनरी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही थी। इसलिए प्रतिवादी ने लोड को

4000 केवीए से घटाकर 1325केवीए करने का फैसला किया। तदनुसार प्रतिवादी ने इस तरह की कमी के लिए अपीलकर्ता बोर्ड अधिकारियों के समक्ष दिनांक 20.09.2007 को एक आवेदन किया। दिनांक 08.11.2007 के अपने आदेश के माध्यम से विद्युत अधीक्षण अभियंता ने लोड को 4000 केवीए से घटाकर 1325 केवीए करने के प्रतिवादी के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। साथ ही प्रतिवादी को सूचित किया गया कि लोड की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया गया समझौता दिनांक)07.07.2007) उस तारीख से तीन साल की अवधि के लिए लागू होगा और इसी से समझौते का निर्धारण माना जाएगा। समझौते के खण्ड 9 बी का हवाला देते हुए यह प्रावधान किया गया था कि दिनांक 07.07.2007 से तीन साल की प्रारंभिक अवधि पूरी होने से पहले समझौते को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रतिवादी को न्यूनतम गारंटी शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, भले ही प्रतिवादी समझौते को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

3. दिनांक 08.11.2007 के बोर्ड के उक्त आदेश को चुनौति देते हुए प्रतिवादी ने 2007 की रिट याचिका संख्या 6651 दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2008 के अपने निणर्य के माध्यम से अनुमति दी गई है। इसका मुख्य आधार यह था कि झारखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता)2005 के विनियमन 9.2.1(संक्षेप में 2005 के विनिमयमें निहित (प्रावधानों के अंतगर्त समझौते की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दिए जाने वाले भार में कोई कमी नहीं करने का प्रावधान भेदभावपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। उपरोक्त फैसले को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई है।

4. हमने प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अनुप कुमार और अपीलकर्ताओं की ओर से पेशविद्वान वकील श्री एनसिंह एवं उनके सहायतार्थ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री देवाशीष भरूखा को सुना।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 14.04.2004,के प्रारंभिक समझौते के बाद, जो 16.04.2004 से प्रभावी हुआ, जिसके तहत 325 केवीए की अनुबंध मांग को प्रतिवादी के पक्ष में अनुमति दी गई थी, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में, आयोग) द्वारा प्रदत्त (शक्तिका प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की धारा181 (2) (एक्स जो धारा (50 के साथ पढ़ी जाए, झारखण्ड राज्य इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विनियमन (इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोर्ड)2005 तैयार किया गया जो दिनांक 28.07.2005 से लागू हुआ।

6. अपीलकर्ता बोर्ड के विद्वान वकील का कहना है कि विनियम 2005 के विनियम 9.2.1 के संदर्भ में, जो अनुबंध मांगस्वीकृत भार में संबंधित है/, समझौते की अवधि की समाप्ति से पहले लोड में किसी कमी की अनुमति नहीं दी सकती है। अपीलकर्ताओं के अनुसार,समझौता दिनांक 07.07.2007 को समाप्त हुआ। जब 4000 केवीए के बढ़े हुए भार के लिए एक नया समझौता निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि दिनांक 20.09.2007 को प्रतिवादी द्वारा

लोड को कम करने के लिए दायर किया गया आवेदन,जो दिनांक 07.07.2007 से तीन साल की अवधि के भीतर था,बोर्ड द्वारा दिनांक 08.11.2007 के अपने आदेश के माध्यम से अस्वीकृत किया जाना सही था, क्योंकि यह 2005 के विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप था।

7. इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ वकील का कहना है कि समझौता प्रारंभ में दिनांक14.04.2004 को किया गया था और इसके बाद भले ही तकनीकी रूप से नये समझौते प्रतिवादी के भार को बढ़ाने के लिए निष्पादित किए गए हों ,लेकिन वे केवल दिनांक 14.04.2004 के प्रारंभिक समझौते का विस्तार/संशोधनरूप थे और इनमें से प्रत्येक समझौते ,बढ़े हुए अनुबंधि लोड में परिवर्तन के सिवाय,की शर्तें समान थी। प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया कि नियम भार बढ़ाने के मामले में एक नए समझौते की अनुमति नहीं देते हैं, और लोड वृद्धि संबंधी समझौते केवल दिनांक 14.04.2004 के प्रारंभिक समझौते की निरंतरता में पूरक समझौते होंगे और इसे नए समझौते के रूप् में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह समान बिजली कनेक्शन है, जिसे दिनांक 14.04.2004 के समझौते द्वारा प्रदान किया गया था और जिसमें लोड बढ़ाने के लिए समय समय पर-संशोधन किए गए हैं , और केवल भार बढ़ाने के लिए एक नए समझौते को निष्पादित करने को 2005 के विनियमों के अंतर्गत नया समझौता नहीं कहा जा सकता है। अतःउनका कहना है कि दिनांक 20.09.2007 के लोड को कम करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन को प्रारंभिक समझौते की तारीख 14.04.2004 से तीन साल की अवधि के बाद माना जाना चाहिए और इस प्रकार प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए और या के /2005 विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में इसे स्वीकृत माना जाना चाहिए। इस संबंध में, 2005 के विनियमों के विनियम 2 (एक(,9.1 और 9.2 को रेखांकित किया गया है।

8. सुलभ संदर्भ हेतु 2005 के विनियमों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं

"2. परिभाषाएं। 2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः

(क............(

(ख...........(

(ग..........(

....

(एल ("कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का तात्पर्य किलो वाट या किलो वोल्ट (के डब्लू) हॉ) या एचपी (केवीए) एमपियरर्स पावरमें मांग से है जो वितरक लाइसेंसधारक और उपभोक्ता के (बीच में पारस्परिक रूप से सहमत समझौते में दर्ज किया गया है या अन्य लिखित पत्र के माध्यम से सहमत" हुआ हो।

(एम..........(

(एन.........(

9. कॉन्ट्रैक्ट डिमांड-स्वीकृत लोड में वृद्धि और कटौती/

9.1 अनुबंध मांग में वृद्धिस्वीकृत लोड/

9.1.1 कॉन्ट्रैक्ट डिमांड स्वीकृत लोड को बढ़ाने के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्म में किया/ जाएगा और जैसा कि इन विनियमों के खंड 5 में नए सेवा कनेक्शन में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

9.1.2 लोड बढ़ाने के लिए आवेदन का निपटान खंड में नए सेवा कनेक्शन के लिए निर्धारित तरीके से और समय सीमा के भीतर किया जाएगा जैसा कि इन विनियमों के खंड 6.2.11में नए कनेक्शन के लिए निर्धारित है |

बशर्ते कि कॉन्ट्रैक्ट मांग स्वीकृत भार बढ़ाने के लिए आवेदन को वितरण/ लाइसेंसधारी द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी के बकाया में है और उस पर अदालत या आयोग द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।

9.2 कॉन्ट्रैक्ट डिमांडस्वीकृत लोड में कटौती।/

9.2.1 कॉन्ट्रैक्ट डिमांड/कनेक्शन कनेक्शन कम रने के लिए आवेदन नए सर्विसकनेक्शन के लिए निर्दिष्ट निर्धारित फॉर्म में किया जाएगा।

बषर्ते कि अनुबंध की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लोड में किसी कमी की अनुमति नहीं दी जाएगीं

9.2.2 लोड कम करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न करना होगा

(i) कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में संशोधन, बदलाव और हटाने का विवरण।

(ii) लोड कम करने का अन्य कारण

(iii) सक्षम प्राधिकारी से सुरक्षा मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उपभोक्ता द्वारा इंस्टॉल किए गए

जनरेटर का विवरण।

9.2.3 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारक आवेदन को सत्यापित करने पर विचार करेगा और आवेदन के

30 दिनों के भीतर अनुबंध मांगस्वीकृत भार को कम करने पर अपने निर्णय को लिखित / रूप में

सूचित करेगा।

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारक अनुबंध मांगस्वीकृत भार में कमी को / अस्वीकार या मना करता है तो यह उपभोक्ता को मामले में सुनवाई के उचित अवसर प्रदान

करने और इस तरह मना करने के कारणों को लिखित रूप में सूचित करने के बाद ऐसा करेगा।

9.2.4 यदि अनुबंध मांग स्वीकृत भार को कम करने के लिए आवेदन के निर्णय के बारे में/

लइसेंसधारी द्वारा आवेदन के 30 दिनों के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, उपभोक्ता मामले में

निपटान के लिए अनुरोध करते हुए लाइसेंसधारी को एक नोटिस भेजेगा और यदि नोटिस के 15

दिनों के भीतर निर्णय अभी भी सूचित नहीं किया गया हैतो उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारी को नोटिस

जारी किए जाने के 16वें दिन से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड स्वीकृत लोड में कटौती को स्वीकृत माना/

जाएगा।

9.2.5 कॉन्ट्रैक्ट डिमांडस्वीकृत लोड में कमी उस महीने के बाद के महीने के पहले दिन/ से

लागू होगी, जिसमें लोड में कमी को मंजूरी दी गई है या इसे स्वीकृत माना गया है।

9.2.6 कॉन्ट्रैक्ट डिमांड स्वीकृत लोड/की कटौती की मंजूरी के बाद उपभोक्ता एक पूरक समझौता

निष्पादित करेगा और लाइसेंसधारी अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की

फिर से गणना करेगा, यदि कोई हो तो उपभोक्ता के बाद आने वाले बिलों की न्यूनतम

संख्या में समायोजन के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा।

(जोर दिया गया)

9. बोर्ड के इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के दिनांकित 08.11.2007 का पत्र, लोड

को कम करने के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

विषय: मेसर्स आर के संबंध में भार को .के.4000 केवीए से घटाकर

1325 केवीए करने के संबंध में फोजिंग लिमिटेड कॉन.

एचजेएपी संख्या 185

सन्दर्भ:आपका पत्र संख्या आर के ऍफ़ एल/IIIऔर IV182/0708

दिनांकित 05.10.2007.

उपरोक्त के संबंध में, आपने सीडी को 4000 केवीए से घटाकर 1325 कि केवीए

करने के लिए आवेदन किया है। यह आपको सूचित करने के लिए है कि समझौते का

सी/9 बी कृपया देखा जा सकता है।

सी/9बी उपभोक्ता से तीन साल की समाप्ति से पहले इस समझौते को निर्धारित करने

के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने की तारीख)4000 केवीए

12.07.2007से प्रभावी).

उपभोक्ता बोर्ड को बारह कैलेंडर महीनों से कम की पिछली सूचना देने पर उक्त

अवधि के बाद किसी भी तारीख से इस समझौते का निर्धारण कर सकता हैइसमें)

सचिव द्वारा कम से कम 6 महीने का नोटिस लिया गया है, झारखंड राज्य विद्युत

बोर्ड अधिसूचना संख्या 5058 दिनांक 20.08.2002) उस ओर से लिखित रूप में और इस तरह कि नोटिस की अवधि समाप्त होने पर। यह समझौता किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना समाप्त हो जाएगा और निर्धारित करेगा जो तब बोर्ड को इसके साथ अर्जित हुआ है, बशर्ते कि उपभोक्ता किसी भी समय बोर्ड हस्तांतरण की पूर्व सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को और इस तरह के हस्तांतरण की सदस्यता पर इस समझौते को सौप सकते हैं, यह समझौता अंतरिती और बोर्ड के लिए बाध्यकारी होगा और सभी मामलों में प्रभावी होगा जैसे कि अंतरिती मूल रूप से उपभोक्ता के स्थान पर पक्षकार था जिसे अब से इसके तहत या उसके संबंध में सभी देनदारियों से मुक्त किया जाएगा।

इसलिए कटौती के लिए आपका अनुरोध समझौते के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

10. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुना और ध्यान से रिकॉर्ड को देखा है।

11. दिनांक 08.11.2007 के पत्र के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि समझौते खंड 9 (बीके (संदर्भ में भार को कम करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हैं समझौते की, समझौते के शुरू होने की तारीख का 7/12.07.2007 मानते हुए और केवल समझौते के निर्धारण के प्रावधान पर विचार करके, जो 12 कैलेंडर महीनों से कम की सूचना दिए बिना नहीं हो सकता था। यह स्पशट है कि उक्त संचार/आदेश भार में कमी के संबंध में 2005 के विनियमों के प्रावधानों पर विचार नहीं करता है, लेकिन केवल भार में कमी के लिए आवेदन को निर्धारण के लिए आवेदन मानता है।

12. 2005 के विनियमों का अध्याय 9 अनुबंध की मांग/स्वीकृत भार को बढ़ाने और कम करने से संबंधित है। विनियम 9.1 अनुबंध मांग/स्वीकृत भार को बढ़ाने से संबंधित है, जबकि विनियम 9.2 अनुबंध मांग/स्वीकृत भार को कम करने से संबंधित है।

13. चूँकि उपभोक्ता को विनियमन 9.1 के तहत अपना भार बढ़ाने की स्वतंत्रता है, इसलिए अनुबंध मांग स्वीकृत भार में कमी के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है और विनियमन/9.2 के आलोक में इस संबंध में निणर्य लिया जा सकता है। विनियमन 9.2.1 के प्रावधान में निस्संदेह इस बात का प्रावधान है कि समझौते की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले भार में कमी की अनुमति

नहीं दी जाएगी, जो वर्तमान मामले में तीन वर्ष है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए बाद के समझौते को आधार माना जाए।

14. 2005 के विनियमों के विनियम 9.2.6 में उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत भार को कम करने के लिए एक पूरक समझौते के निष्पादन का प्रावधान है। इसी तरह, भार बढ़ाने के लिए भी, भले ही पक्षों के बीच एक नया समझौता किया गया हो, इसे प्रारंभिक समझौते के पूरक समझौते के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता है, जिसके द्वारा किसी विशेष भार के लिए बिजली कनेक्शन दिया गया था। । विनियमों के खंड 2 (1) में "अनुबंध मांग" को समझौते में पारस्परिक रूप से सहमत या अन्य लिखित संचार के माध्यम से सहमत मांग के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि अनुबंध की मांग में बदलाव के लिए एक नए समझौते का निष्पादन आवश्यक नहीं है और इसे केवल लिखित संचार द्वारा भी किया जा सकता है।

15. यह उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली आपूर्तिकर्ता के (बोर्ड) रूप में एकाधिकार प्राप्त हैं। बोर्ड द्वारा अपने नियम और शर्तें निर्धारित किए गए हैं, जिसके बारे में उपभोक्ता को अपने उद्योग को चलाने के लिए अलगअलग बिजली प्राप्त करने के क्रम में-,बिना किसी परिवर्तन के मात्र हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बोर्ड राज्य का एक अभिकरण है। इसे निशपक्ष और उचित होना चाहिए। यदि विनियम लिखित पत्र के माध्यम से भी अनुबंध भार को बदलने का प्रावधान करते हैं, तो हमारे विचार में यह उचित होगा कि यद्यपि यह समझौता उसी बिजली कनेक्शनके भार को बढ़ाने के संदर्भ में निष्पादित किया गया होगा । इसे बिजली कनेक्शनदेने वाले प्रारंभिक समझौते के विस्तार/संशोधनया परिवर्तन समझा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रारंभिक समझौता दिनांक14.04.2004 को हुआ। बोर्ड के आदेषों पर, हो सकता है कि उपभोक्ता द्वारा लोड बढ़ाने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया होना, लेकिन वृद्धि उसी बिजली कनेक्शनके लिए है जो अभी भी जारी है। यह केवल प्रारंभिक समझौते का संशोधन होगा। यह 2005 के विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप भी होगा, जिनकी व्याख्या उपभोक्ता के पक्ष में उदारता से की जानी चाहिए।

16. पुनः दिनांक 08.11.2007 के आदेश के संदर्भ, जिसे रिट याचिका में विवादित किया गया था, हमारी राय है कि बोर्ड ने समझौते के खंड 9बी के तहत समझौते के निर्धारण कि लिए भार में कमी कि लिए प्रतिवादी के दिनांक 20.09.2007 के आवेदन के निस्तारण में गलती की है, वास्तव में इस आवेदन पर 2005 के विनियमों के विनियम 9.2 के तहत विचार किया जाना चाहिए था। पुनः, हम अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि भार को कम करने के लिए प्रतिवादी का आवेदन तीन साल की अवधि के भीतर था, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है,वर्तमान मामले में जिस समझौते पर विचार किया जाना है, वह प्रारंभिक समझौता दिनांक 14.04.2004 का है न कि दिनांक 07.07.2007 का।

17. इस न्यायालय के निर्णय जो दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए हैंःबिहार राज्य विद्युत बोर्ड,पटना और अन्य बनाम मेसर्स ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज एवं अन्य, (1990)1 एससीसी 731, उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम उड़ीसा टाइल्स लिमिटेड,(1993) सप, 3 एससीसी 481, आंध्र स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (1991) 3 एससीसी 263 और झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, (2014) 5 एससीसी 236 जैसा है। ये निर्णय अलगअलग तथ्यों पर - आधारित हैं।साथ ही वे सभी न्यूनतम गारंटी षुल्क से संबंधित हैं, और वह भी 1910 के पुराने बिजली अधिनियम के तहत, जैसा कि पहले तीन मामलों में हैं।

18. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रतिवादी के दिनांक 08.11.2007 के आवेदन को बोर्ड द्वारा 2005 के विनियमों के विनियमन 9.2 के संदर्भ में अनुमति दी जानी चाहिए थी। प्रतिवादी के आवेदन को दिनांक 14.04.2004 के प्रारंभिक समझौते के निष्पादन की तारीख, जिसके द्वारा प्रतिवादी का बिजली कनेक्शनषुरू में दिया गया था, से तीन साल की अवधि से अधिक मानते हुए यह अनुमति दी जानी चाहिए।

19. अपील को खारिज करते समय, हम इस सवाल पर नहीं जा रहे हैं कि क्या विनियमन 9.2.1 के प्रावधान भेदभावपूर्ण, मनमाने और सार्वजनिक नीति के खिलाफ हैं, जैसा कि झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2008 के अपने फैसले के माध्यम से माना गया है।

20. अपील, तदनुसार, खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई ऑर्डर नहीं,

21. अनुबंध भार स्वीकृत भार को/4000 केवीए से घटाकर 1325 केवीए करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन को विनियमन के प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई मानी जाएगी और उत्तरदाता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

. न्यायमूर्ति...

(एल नागेश्वर राव(

. न्यायमूर्ति...

(विनीत शरण)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|